20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(37)

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R-3853-II/16

प्र.क. /2016 निगरानी

सुभाश चन्द जैन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जैन
निवासी महल कॉलोनी जिला शिवपुरी म.प्र.
——— आवेदक

बनाम

एस. पी. भार्गव (एड.) 11/11/16

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ एवं जिला पंजीयक शिवपुरी
2. नायब तहसीलदार तह. शिवपुरी म.प्र.
——— अनावेदकगण

11-11-16 500 11-11-16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.10.2016 न्यायालय नायब तहसीलदार एवं जिला पंजीयक जिला शिवपुरी के प्र.क. 25/अ–76/2013–14 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

(S. Bhargava 11-11-16)

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार वाह्य तथा प्रकरण पत्रावली के विपरीत पारित होने से उक्त आज्ञायें अपास्तनीय है। तथा फाइण्डिंग परवस होने निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने बाजारू मूल्य 2,24,900/– रु. (2 लाख 24 हजार 900 रुपये) एवं मुद्रांक विधान की धारा 40(ख) के अन्तर्गत अर्थदण्ड 600/– रु. कुल योग 2,25,500/– रु. राजस्व शीर्श 0030 में जमा कराये जाने के आदेश पारित करने में त्रुटि की है। तथा प्रश्नाधीन सम्पत्ति का न तो पालन किया है। और न ही मकान का मूल्य जिसमें अनुवन्धकर्ता एवं अनुवन्ध ग्रहीता द्वारा निश्पादित किया गया है। अनुवन्ध पत्र में लिखा है कि, अनुवन्धकर्ता के स्वामित्व एवं अधिपत्य का एक तीन मंजिला मकान महल कॉलोनी शिवपुरी में स्थिति है। जिसका क्षेत्रफल लम्बाई 60 फीट चौड़ाई 20 फीट त्र 1200 वर्गफीट है। भवन अनुवन्ध ग्रहीता को 3,00,000/– रु. में विक्रय दि. 16–06–09 को किया जाना बताया था। एवं एडवांस 30,000/– रु. प्राप्त करना लेख बताया गया। शेष राशि रजि. के समय प्राप्त कर ली जावेगी।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3853-दो/16 **जिला** - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर, जिला शिवपुरी के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>कलेक्टर जिला शिवपुरी</u>**	